सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-723/RJ/4/2022-APCR Date : 14.08.2024

सेवा मे,

डॉ. ममता गुप्ता
पुलिस अधीक्षक
जिला - सवाई माधोपुर
पुलिस कार्यालय
सवाई माधोपुर -322001 (राजस्थान)
ई मेल: sp.sawaimadhopur@rajpolice.gov.in

विषय: आरोपी द्वारा गुंडे भिजवाने, मार पिटाई करवाने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में - श्री शिवराम मीणा पुत्र कोरपाल मीणा, ग्राम- चदनोली, पोस्ट-खिरनी, तहसील-मलारना डूंगर, जिला - सवाई माधोपुर, राजस्थान का अभ्यावेदन

महोदया,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री शिवराम मीणा
पुत्र कोरपाल मीणा,
ग्राम- चदनोली, पोस्ट-खिरनी,
तहसील-मलारना डूंगर,
जिला - सवाई माधोपुर, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

<u>सुनवाई का कार्यवृत</u>

फाइल क्र.-NCST/ATY-723/RJ/4/2022-APCR

श्रीमती सपना मीणा, पत्नी- राम खलाड़ी मीणा, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं आर टी आई एक्टिविस्ट, ग्राम- चादनोली, पोस्ट- खरनी, तहसील- मलारना डूंगर, जिला- सवाई माधोपुर, राजस्थान की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत

सुनवाई की तिथि : 28.06.2024, 12:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्रीमती सपना मीणा, पत्नी- राम खलाड़ी मीणा, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं आर टी आई एक्टिविस्ट, ग्राम- चादनोली, पोस्ट- खरनी, तहसील- मलारना डूंगर, जिला- सवाई माधोपुर, राजस्थान से दिनांक 15/06/2022 की आयोग में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होने बताया है कि आरोपी श्री बाबूलाल गुर्जर ने श्री शिवराम मीणा को मारने के लिए तीन गुंडे भेजे क्योंकि उसके बेटे ने उससे कर्ज लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था, गुंडों ने याचिकाकर्ता को मारने का प्रयास किया, आरोपी ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2. आयोग ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला- सवाई माधोपुर, राजस्थान को दिनांक 08/12/2022 को नोटिस भेजा था और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गयी थी

3. जिसके सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, जिला - सवाई माधोपुर, राजस्थान की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, अत: आयोग द्वारा दिनांक 28.06.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला - सवाई माधोपुर, राजस्थान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला -सवाई माधोपुर, राजस्थान आयोग में उपस्थित हुए, पीड़ित श्री शिवराम मीना व उनका पुत्र भी प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित हुए

5. मामले के संबंध में पीड़ित ने बताया कि उनकी पुश्तैनी आबादी की जमीन पर श्री बाबूलाल गुर्जर ने कब्जा कर रखा है आरोपी उक्त जमीन को लेकर ही उनको मारने की योजना बनाता रहता है, और उस जमीन पर मकान भी बना लिया है और उन्होने यह भी बताया कि उनके पूरे गाँव में किसी के पास भी ऐसी जमीन के पट्टे नहीं है

6. प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला -सवाई माधोपुर, राजस्थान ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होने बताया कि कथित जमीन बाबूलाल गुर्जर की ही है जिसे उन्होनें पीड़ित के ही परिवार के सदस्य श्री राजराम मीना से 1998 में 7000 रुपये में खरीदा था और जो लोग पीड़ित के घर में घुसे थे वो अनजाने में किसी और दिलखुश नाम के व्यक्ति को ढूंढते हुए आए थे जिसने उनकी कंपनी से लोन लिया हुआ था,

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. मामले की पुनः जांच कर रिपोर्ट आयोग को दी जाए तथा पुलिस द्वारा मामले को जिला कलेक्टर को संदर्भित किया जाए

2. मामले में आयोग की ओर से जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर, राजस्थान को नोटिस भेजा जाए

3. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग में प्रस्तुत की जाए

आशा लकड़ा
14/08/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY- 723/RJ/4/2022-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from Superintendent of Police, District Sawaimadhopur, Rajasthan

Shri Dinesh Kumar Yadav

Addl. Superintendent of Police, Bonli

Petitioners

Shri R.K. Meena

Shri Shiv Ram Meena